

वज्रसिंह बनाए इका लिह को


हुकम या कार्यवाही मय लघुहरसाकार जज

पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुद्दा - 30/2020

तारीख हुकम

12.12.2022

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकूलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में बहुपक्षीय सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार की जाती है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 09.10.2020 को तादौराने वाद कन्फर्म किया जाता है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मूल निर्णित टी.आई. पत्रावली मूल वादपत्र के हमफिता हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(दिलीप सिंह) 12/12/22

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

